In the Court of Addl. District and Sessions Judge, Manjhaul(Begusarai)

S.T No-282/2023

Khodawandpur (Chhorai O.P) P.S Case No- 160/2018

State Vs. Md. Salman and others

04.03.2024 1. प्रस्तुत वाद अभियोजन साक्ष्य के लिए लंबित हैं और अभियोजन की ओर से उनका आवेदन दिनांक 06.07.2023 प्रचालित किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक के साथ सूचक के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री रामबाबू चौधरी का कथन हैं– कि पुलिस पदाधिकारी द्वारा P.M.C.H. Patna में इस वाद के पीड़ित ग्यासुद्यिन का फर्द बयान अंकित किया गया था। वहॉ के पुलिस पदाधिकारी द्वारा फर्द बयान की मूल प्रति इस वाद के अन्वेषक सह सहायक अवर निरीक्षक अर्जुन प्रसाद को दे दिया गया था। अनवेषक ने उस फर्द बयान की कॉपी इस अभिलेख के साथ संलग्न किया, किन्तु मूल प्रति संलग्न नहीं किया। अतः उपरोक्त दस्तावेज खोदाबंदपुर छौराही ओपी के थाना प्रभारी से मॉग कर लिया जाय।

2. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री शकिल अहमद का कथन है कि जब मूल प्रति अभिलेख पर नहीं है तो साक्ष्य अधिनियम के अन्तगर्त द्वितीय प्रति साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सकती है। ऐसे में इस आवेदन का कोई अर्थ नहीं है। दरासल बात यह है कि अभियोजन इस वाद को लंबित रखना चाहता है इसलिए यह आवेदन दिया गया है। इसे खारिज किया जाय।

3. सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और वाद के किसी भी पक्ष को यह हक है कि वो अपना सर्वोत्तम साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। साक्ष्य अधिनियम की इस मन्सा के अनुसार अभियोजन का यह आवेदन स्वीकार किया जाता है और थाना प्रभारी खोदाबंदपुर छौराही ओपी को निर्देश दिया जाता है कि फर्द बयान की मूल प्रति इस न्यायालय मे भेजें। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति थाना प्रभारी खोदाबंपुर छौराही ओपी को अभियोजन के आवेदन की कॉपी के साथ भेजें एवं इस वाद को दिनांक 16.03.2024 को अभियोजन की साक्ष्य के लिए पुनः प्रस्तुत करें।

ADJ, Manjhaul